

(भारत के राजपत्र के भाग I -खंड 1 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

जीपीओए-3, नेताजी नगर, नई दिल्ली

30 सितंबर, 2026

अधिसूचना

विषय : परिधान/गारमेंट और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट [ROSCTL) योजना

फा. सं. 12015/12/2026-टीटीपी(भाग 1)– परिधान/गारमेंट और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (ROSCTL) योजना के संबंध में इस मंत्रालय की पिछली अधिसूचनाओं के क्रम में, ROSCTL योजना एतद्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक आगामी 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ायी जाती है।

2. योजना का यह विस्तार उसी दायरे, संरचना, प्रकृति, कवरेज, लागत मानदंडों और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ जारी रहेगा जैसा कि दिनांक 30.09.2026 को लागू था।

3. छूट का लाभ, यथा-लागू, इयूटी क्रेडिट स्क्रिप/ई-स्क्रिप की मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किया जाना जारी रहेगा। योजना के तहत अधिसूचित सभी मदों के लिए प्रचलित दरें और सीमा (कैप) तब तक वही रहेंगी जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए। यह योजना राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरणीय इयूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने हेतु एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वित की जाएगी, जिसे सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्रणाली में एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रखा जाएगा। RoSCTL योजना के तहत इयूटी क्रेडिट स्क्रिप, निर्यात आय की प्राप्ति (realization of export proceeds) की अनिवार्यता के बिना जारी की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत व्यय आवंटन राशि से अधिक न हो, योजना के तहत व्यय और देनदारी की त्रैमासिक आधार पर एक समिति द्वारा समीक्षा की

अभिषेक मेनन

जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता व्यय विभाग (DOE) द्वारा की जाएगी और इसमें राजस्व विभाग (DOR), वाणिज्य विभाग (DOC) और वस्त्र मंत्रालय (MOT) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। व्यय को निर्धारित आवंटन के भीतर रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

5. सरकार संबंधित अंतर्निहित स्थितियों में बदलाव के आलोक में दरों और सीमाओं (कैप) को उचित रूप से समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हालांकि, ROSCTL के तहत पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे।

6. इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-TTP दिनांक 13.08.2021 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश ROSCTL योजना को जारी रखने और कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रहेंगे।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी।



ए. बिपिन मेनन

व्यापार सलाहकार